

**समाहरणालय, मुंगेर।**  
(जिला निर्वाचन शाखा)

**आदेश**

सरकार के संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक: 1540/ न0नि0वि0 एवं आ0वि0 दिनांक: 03.05.2012 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में विभागीय आवंटनादेश संख्या 05/न0नि0 एवं आ0वि0 दिनांक: 16.04.2012 द्वारा प्राप्त वित्तीय वर्ष 2012-13 में मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन- उप मुख्य शीर्ष -00 लघु शीर्ष-109- पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिये प्रभार- उप शीर्ष- 0001- नगर निगम, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष 13 01 -कार्यालय व्यय, विपत्र कोड संख्या एन-201500109001 मांग संख्या-48 अन्तर्गत प्राप्त आवंटन को इस कार्यालय के ज्ञापांक: 159 दिनांक: 21.04. 2012 द्वारा उपावटित है के आलोक में जिला स्तर पर सुरक्षित राशि में से नगरपालिका आम चुनाव, 2012 हेतु नगर परिषद, जमालपुर, नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर एवं नगर निगम, मुंगेर के मतदान कर्मियों को यात्रा भत्ता भुगतान हेतु निम्नप्रकार स्तम्भ (2) में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ (4) में अंकित राशि उपावटित की जाती है।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व आवंटित (राशि लाख रुपये में)	वर्तमान में आवंटित (राशि लाख रुपये में)	कुल
1	2			
1	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर	1.50	3.00	4.50
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, खड़गपुर	0.75	1.00	1.75
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	10.00	0.00	10.00
4	उप विकास आयुक्त	3.00	0.00	3.00
5	जिला स्तर पर सुरक्षित	4.55	-4.00	0.55
	<b>योग:-</b>	<b>19.80</b>	<b>0.00</b>	<b>19.80</b>

2. मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन- उप मुख्य शीर्ष -00 लघु शीर्ष-109- पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिये प्रभार- उप शीर्ष- 0001- नगर निगम, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष 13 01 -कार्यालय व्यय, विपत्र कोड संख्या एन-201500109001 मांग संख्या-48 (गैर योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक: एम-4-05/98/2561 वि0(2) दिनांक: 17.04.1998 एवं पत्रांक: 2450 दिनांक: 17.04.1999 एवं पत्रांक: 422 दिनांक: 31.03.2012 के आलोक में निर्गत है।

5. आवंटित राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार, मुंगेर से चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में की जायेगी। यह राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगा। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। राशि का उपयोग होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

परिशिष्ट 'क'

नगर परिषद, जमालपुर एवं नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर में चुनाव कर्मियों की प्रतिनियुक्ति संबंधी विवरणी।

क्रमांक	निका क्षेत्र का नाम	कुल मतदान केन्द्रों की संख्या (जहाँ चुनाव होना है)	प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों की विवरणी				
				पीटासीन पदाधिकारी	प्रथम मतदान पदाधिकारी	द्वितीय मतदान पदाधिकारी	तृतीय मतदान पदाधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर परिषद, जमालपुर	66	10% सुरक्षित	66	66	66	66
				7	7	7	7
				कुल-	73	73	73
2	नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर	20	10% सुरक्षित	20	20	20	20
				2	2	0	0
				कुल-	22	22	20
कुल-		86		95	95	93	93

परिशिष्ट 'ख'

क्र०	प्रखण्ड का नाम	10: सुरक्षित जोड़कर चुनाव कराए जाने वाले कुल मतदान केन्द्रों की संख्या	पीटासीन पदाधिकारी @ 1625/-	प्रथम मतदान पदाधिकारी @ 1125/-	द्वितीय मतदान पदाधिकारी @ 1125/-	तृतीय मतदान पदाधिकारी @ 800/-	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर परिषद, जमालपुर	73	73x1625	73x1125	73x1125	73x800	
			118625.00	82125.00	82125.00	58400.00	341275.00
2	नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर	22	22x1625	22x1125	22x1125	22x800	
			35750.00	24750.00	24750.00	17600.00	102850.00
कुल-		95	154375.00	106875.00	106875.00	76000.00	444125.00

28/05/12  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)

साह  
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

6. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत् क्रय समिति कर अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।
7. राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर नहीं की जायेगी। यदि ए0सी0 विपत्र पर निकासी निर्वाचन कार्य हेतु अपरिहार्य हो तभी ए0सी0 विपत्र पर निकासी की जा सकेगी। किन्तु उसका डी0सी0 विपत्र शीघ्र तैयार कर महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी सूचना नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को भेजी जाए। साथ ही अधोहस्ताक्षरी को भी कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाय।
8. आवंटित राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक: 31.03.2013 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की होगी।
9. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी के द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

ह0/-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका)  
-सह-  
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 278 /नि0, दिनांक: 07/05/2012

- प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर/हवेली खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका), मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाइट पर अपलोड करते हेतु प्रेषित।

07/05/12  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका)  
-सह-  
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।